वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

(कुलसचिव कार्यालय)

कार्यवाही विवरण विद्या परिषद की 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा की विद्या परिषद की 62वीं बैठक दिनांक 06 नवंबर 2020 को मध्यान्ह बाद 01.15 बजे गांधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. प्रो0 आर0एल0 गोदारा कुलपति, वमखुविवि,कोटा।
2. प्रो0 बी0 अरूण कुमार, वमखुविवि,कोटा।
3. डा0 अनिल कुमार जैन, सह आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
4. डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा, निदेशक, क्षे0के0 वमखुविवि,जोधपुर।
5. डॉ0 दिलिप कुमार शर्मा, निदेशक क्षे0के0,वमखुविवि,कोटा।
6. डॉ0 पतंजलि मिश्रा, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
7. डॉ0 श्रीमती क्षमता चौधरी, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा।
8. डा0 अकबर अली, सहा0 आचार्य वमखुविवि,कोटा ।
9. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे, सहा0 आचार्य,वमखुविवि,कोटा।
10. डा0 कीर्ती सिंह सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
11. डा0 आलोक चौहान, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
12. डा0 संदीप हुड्डा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
13. श्री रवि गुप्ता, सहा0 आचार्य, एवं परीक्षा नियंत्रक वमखुविवि,कोटा।
14. श्री सुशील राजपुरोहित, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
15. श्री नीरज अरोड़ा, सहा0 आचार्य, वमखुविवि,कोटा।
16. एस0डी0 मीना, कुलसचिव,वमखुविवि,कोटा। (सदस्य सचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए लंबे अर्से बाद विद्या परिषद की बैठक फेस टू फेस हर्ष व्यक्त करते हुए कार्यसूची विवरण के अनुसार बिंदुवार चर्चा प्रारंभ करवाने के निर्देश सदन के सदस्य सचिव को प्रदान किए । कार्यसूची विवरण पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

62/01 विद्या परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

विद्या परिषद की 61वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

62/02 विद्या परिषद की 61वीं बैठक दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के निर्णयों की पालना स्थिति रिपोर्ट।

विद्या परिषद की 61वीं बैठक की कार्यसूची विवरण के साथ प्रस्तुत अनुपालना को अद्यतन करते हुए सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि 61वीं बैठक के निर्णय

संख्या 61/14 की पालना में विश्वविद्यालय का तेहरवां दीक्षांत समारोह दिनांक 21 जनवरी 2021 को अथवा माननीय राज्यपाल महोदय को सुविधाजनक अन्य तिथी को आयोजित करवाने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया गया है। सदन द्वारा उक्त जानकारी सहित अनुपालना स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया।

62/03 विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा जून–2020 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा प्रमाण पत्र के प्रश्न पत्रों की परिर्वतित अधिकतम समयावधि (02 घंटे) में हल करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय की संत्रांत परीक्षा जून–20 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MAPST-09, MAEC-09,MASO-09,MAPS-09,MAPA-09,MASA-09,MARJ-09 स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDCL-06,PGIPR-06 तथा प्रमाण पत्र CBIL-03 ,एवं CLP-03 निबंध (essay) के प्रश्न पत्रों की परिर्वर्तित अधिकतम अवधि (02 घंटे) में हल करने एवं इन प्रश्न पत्रों में पत्रों में स्नातकोत्तर प्रश्न संख्या–09 (निबंधात्मक) में शब्द सीमा में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान करने के प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया ।

प्रस्ताव के उप बिंदु संख्या 02 का भी अनुमोदन करते हुए सदन द्वारा स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGDCL-06,PGIPR-06 तथा प्रमाण पत्र CBIL-03,एवं CLP-03 की परीक्षाऐं विद्या परिषद की बैठक से पूर्व ही आयोजित हो जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी द्वारा हल किए गए दोनों प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किये जाने और इनमें अधिकतम अंक वाले प्रश्न के अंकों को दुगुना कर सम्बन्धित प्रश्न पत्र में अंक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

62/04 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न डिग्री /डिप्लोमा/ सर्टिफिकिट पाठ्यक्रमों के Nomenclature के अंग्रेजी एवं हिन्दी को और अधिक विवेकयुक्त करने का प्रस्ताव।

प्रस्ताव के साथ संलग्न गठित समिति के कार्यवाही विवरण का अवलोकन करने के बाद इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए सदस्यगणों ने प्रस्तावित Nomenclature को लागू किए जाने की तिथी के सम्बन्ध में जानकारी की गई, सदन द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय किया गया कि इन प्रस्तावित Nomenclature को माह जुलाई–2021 की परीक्षा से लागू किया जाएगा साथ ही यह भी निर्णय हुआ कि यदि पुलिस स्टेडी कार्यक्रम में पूर्व में जिन छात्रों को उपाधि जारी कर दी गई है उनके Nomenclature को परिर्वतित करवाने के लिए कोई छात्र आवेदन करता है तो उसे भी परिर्वतित कर दिया जाए।

62/05 (1) लर्निंग सपोर्ट सेंटर/अध्ययन केन्द्र खोलने/ बनाने एवं इनके संचालन प्रक्रिया के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

निदेशक, क्षेत्रीय सेवा द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सदन को प्रदान किए जाने के उपरांत प्रारंभ हुई चर्चा में भाग लेते हुए श्री सुशील राजपुरोहित श्री रवि गुप्ता द्वारा समिति के कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 03 के उपबिंदु

X के सम्बन्ध में जानकारी चाही कि इस बिंदु के अनुसार यह प्रतीत होता है वमखुविवि के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा उस अध्ययन केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं लगाई जाएगी।

बिंदु संख्या 06 में संस्था के निरीक्षण हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में डा0 आलोक चौहान ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय सेवा विभाग में निदेशक के अतिरिक्त कोई अन्य पद अधिकारी की श्रेणी नहीं होने के कारण प्रस्तावित समिति गठन की क्या व्यवस्था रहेगी डा0 पतंजलि मिश्रा ने भी कहा कि समिति में सम्बन्धित विद्यापीठ निदेशक अथवा विषय विशषज्ञ को भी स्थान दिया जाना चाहिए। डा0 संदीप हुड्डा एवं श्री सुशील राजपुरोहित द्वारा कहा गया कि, "विज्ञान विषय के अध्ययन केन्द्र खोलते समय निरीक्षण समिति में विषय विशेषज्ञ भी होने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम एवं ऑनलाईन कार्यक्रम) विनियम 2020 में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों एवं मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए विज्ञान आधारित कार्यक्रमों के लिए अध्ययन केन्द्र खोलते समय अध्ययन केन्द्र द्वारा कम से कम सात वर्षों से पारंपरिक रूप से समान कार्यक्रम की पेशकश करने की योग्यता के प्रावधान की भी पालना विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी।" सदन द्वारा उक्त विचारों से सहमति व्यक्त की गई ।
इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया कि उक्त प्रावधान यू0जी0सी0 रेग्युलेशन के प्रावधानों की बारीकी (Minute details) व्यवस्थाऐं है जिन्हें अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करते समय ध्यान रखा रखा जाएगा।

उक्त चर्चा उपरांत सदन द्वारा कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न समिति के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

62/05 (2) विद्या परिषद के निर्णय संख्या 61/12 की अनुपालना में विद्यार्थियों को प्रोन्नत हेतु प्रक्रिया निर्धारण का प्रस्ताव।

प्रोन्नत प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए डा0 अनिल जैन द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शिक्षा विद्यापीठ द्वारा प्रोन्नत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी हेतु एन0सी0टी0ई0 को सीधे एवं राज्य सरकार के माध्यम से भी पत्र प्रेषित किए गए है किंतु अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है एवं बिना एन0सी0टी0ई0 की सहमति के शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रोन्नत किया जाना संभव नहीं होगा। प्रो0 बी0 अरूण कुमार ने विचार व्यक्त किया कि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन कर आगे की कार्यवाही निर्धारित की जा सकती है। डा0 संदीप हुड्डा द्वारा सदन को अवगत करवाया कि नियामक निकाय (यू.जी.सी.) के दिशानिर्देशों की पालना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें विश्वविद्यालयों को बैकलोग की परीक्षाऐं अनिवार्य रूप से करवाने तथा मध्यवर्ती वर्ष विज्ञान विषय की प्रेक्टिकल परीक्षा करवाने के लिए कहा गया है। इस पर सदस्यगणों द्वारा कहा गया कि हमारे विश्वविद्यालय में भी अधिकाशं छात्र बैक/डिफाल्टर की श्रेणी में आते है अतः उनकी

परीक्षाऐं भी इस निर्णय की पालना में आयोजित करवानी होगी। साथ ही सदस्यों द्वारा यह विचार भी विचार व्यक्त किए गए कि मुक्त शिक्षा पद्वति पर आधारित होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से ही छात्रों को वर्ष में दो बार परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट है एवं इस पद्वति में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि के साथ साथ अधिकतम अवधि में पूर्ण करने की सुविधा भी है। श्री सुशील राजपुरोहित द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यू.जी.सी. के कोविड परिस्थिति के सन्दर्भ में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यवर्ती समिस्टरों की प्रेक्टिकल परीक्षाऐं आगामी सेमेस्टरों में आयोजित की जा सकती है, अतः विश्वविद्यालय में विज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रमों में बिना प्रेक्टिकल परीक्षा की स्थिति में छात्रों का प्रायोगिक परीक्षा परिणाम अपूर्ण रहेगा। कुलसचिव महोदय ने सदन की जानकारी में यह तथ्य भी लाया कि अन्य विश्वविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था क्लासरूम में होती है एवं हमारे विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री छात्रों को घर पर उपलब्ध करवाई जाती है, इसलिए छात्र का अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ है।

समस्त चर्चा उपरांत परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन से जानकारी चाही कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों का जवाब दिया जाना है अतः स्पष्ट निर्णय अपेक्षित है। इस पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रकृति एवं इग्नो की व्यवस्था से राज्य सरकार को अवगत करवाते हुए परीक्षा आयोजित करवाने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया जाए , जिस पर सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

62/05 (3) विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में कोबिड–19 पोजीटिव परीक्षार्थी को बैठाने के क्रम में।

सदन द्वारा चर्चा उपरांत परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि कोविड परीक्षार्थीयों के लिए परीक्षा केन्द्रों पर अलग से कक्ष की व्यवस्था की जाए। इस कार्य पर होने वाले अतिरिक्त वित्तिय भार को विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने पर सहमति प्रदान की गई।

62/05 (4) विद्या परिषद की 61वीं बैठक में लिए गए निर्णय संख्या 61/11 की पालना में गठित समिति का प्रतिवेदन अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

पुस्ताकालय विज्ञान सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न गठित समिति की बैठक के कार्यविवरण का अनुमोदन किया गया।

उक्त निर्णयों उपरांत आसन की अनुमति से डा0 जितेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्रों को शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा एवं व्यवस्था की जानकारी चाहते हुए सदन को अवगत करवाया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी एक समिति गठित की गई थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रो0 बी0 अरूण कुमार द्वारा सदन को अवगत करवाया कि निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र को शोध पर्यवेक्षक बनाया जाना विश्वविद्यालय के लिए अच्छा रहेगा किंतु इस सम्बन्ध में नवीनतम नियमों एवं इग्नो की व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाना भी आवश्यक है ताकि भविष्य में छात्रों को उपाधि की मान्यता के सम्बन्ध में समस्या ना आए एवं विश्वविद्यालय को भी विधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इस जानकारी के बाद माननीय कुलपति महोदय द्वारा निदेशक, संकाय को कहा कि पूर्व में गठित समिति का पुर्नगठन करवाकर शीघ्र बैठक आयोजित करवाई जाए।

उपरोक्त निर्णयों एवं चर्चा उपरांत आसन को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समपन्न होने की घोषणा की गई।

(शंभू दयाल मीना)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव (विद्या परिषद)